

रूप

22-12-22 वकील वादी की ओर से पत्रावली तलब
कर विडो किये जाने बाबत प्रार्थना-पत्र
पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी।
प्रार्थना-पत्र का अध्ययन अवलोकन
किया एवं वकील वादी को सुना गया।
वकील वादी ने निवेदन किया कि वादिया
की मृत्यु हो चुकी है और उक्त वाद को
अब चलाना नहीं चाहते हैं। अतः विडो
करने की अनुमति दी जावे।
चूंकि वकील वादी द्वारा वाद
को विडो करने की अनुमति चाली गयी
है। अतः वाद को विडो करने की अनुमति
दी जाती है, तदनुसार वादिया का वाद
खारिज किया जाता है।



